कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक(IRGY-U), भरतपुर

क्रमांक :– 3996 दिनांक :– 12/07/22

इन्दिरा गॉधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-U) के विभिन्न पदों के लिए संविदा आधार पर सीधी भर्ती–2022 ।

स्वायत्त शासन विभाग राज. सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.56 (क) () सीई / डीएलबी / IRGY (U) / 2022–23 / 32307 दिनांक 12.05.2022 एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश कमांक 3692–3724 दिनांक 31.05.2022 तथा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 (स्वायत्त शासन विभाग की संशोधित अधिसूचना कमांक प.10(छ) ( ) / भ.आ. / डी.एल.बी / 2022 / 287–319 दिनांक 05.07.2022 अनुसार) के अन्तर्गत भरतपुर जिले के समस्त नगर निकायों में संविदा आधार पर 84 विभिन्न पदों के लिये भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

विशेष नोटः–

ऑफलाईन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व **www.bharatpur.rajasthan.gov.in** तथा नगर निगम की वैबसाईट **www.bharatpurmc.co.in** पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति मय आवेदन पत्र प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमे दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन प्रक्रियाः–

1. इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन शैक्षणिक / जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित दिनांक 14.07.2022 . को प्रातः 10 बजे से दिनांक 29.07.2022 को सायः 5 बजे तक कार्यालय समय में व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डांक के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से आयुक्त नगर निगम भरतपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। ई–मेल आई.डी. पर भेजा गया आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। पूर्व में भी जिन आवेदकों ने ई–मेल के माध्यम से आवेदन किया था, उन्हें पुनः इस कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। विज्ञप्ति से संबंधित अन्य सूचनाऐं एवं निर्देश जिला परियोजना समन्वयक की वैबसाइट www.bharatpur.jaipur.gov.in अथवा **www.bharatpurmc.co.in** पर प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जावे।
2. आवेदक का राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है।
3. आवेदन के लिये कोई शुल्क देय नहीं है।

रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार हैः–

पद	पदों की संख्या	UR	SC	ST	BC	MBC	EWS
		GEN	GEN	GEN	GEN	GEN	GEN
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	27	12	4	3	5	1	2
लेखा सहायक	14	8	2	1	2	—	1
एम.आई.एस. मैनेजर	14	8	2	1	2	—	1
शहरी रोजगार सहायक	29	13	4	3	6	1	2

क्षैतिज आरक्षण

	महिला			भू.पू. सैनिक	दिव्यांगजन
	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता		
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	6	2	–	3	2
लेखा सहायक	3	1	–	1	1
एम.आई.एस. मैनेजर	3	1	–	1	1
शहरी रोजगार सहायक	6	2	–	3	2

1. महिला, भूतपूर्व सैनिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रिक्तियॉ उपलब्ध होने पर नियमानुसार देय होगा।
2. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधान के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार लागू किया जायेगा।

विशेष सूचनाः–

1. राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जायेगा।
2. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेंगा।
3. स्पष्टीकरण :– किसी वर्ग (अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछडा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग का नॉन कीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा महिलाओं के लिये पद आरक्षित है। यदि विधवा महिलाये प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

भूतपूर्व सैनिकों हेतु :–

1. (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नही होगा।
2. (ख) भूतपूर्व सैनिक :–
3. प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र ''अच्छा'' से कम नही होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
4. प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिए अर्हक बना दे।
5. भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /पिछडा वर्ग /अति पिछडा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट–।। दिनांक 17.04.2018 एवं 22.11.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ5(18) डीओपी/ए–।।/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार ''भूतपूर्व सैनिक'' के

संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसें हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

6. ''कोई व्यक्ति जो पैंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निरापेक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरापेक्ष प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।''
7. यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रकिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में की जावेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जावेगी।

<u>दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये</u> :–

1. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निम्न लिखित श्रेंणी के विशेष योग्यजन को ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है :–

   I. LV (Low vision)

   II. Hi (Hearing Impairment) :- Deaf, Hard of Hearing.

   III. LD/CP :- OA (One Arm), BA (Both Arm), OL (One Leg), OAL (One Arm & One Leg), Cerebral palsy, Leprosy cured, Dwarfism, Acid attack vicitims, muscular dystrophy.

   IV. (1) Autism, intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
   (2)Multiple Disabilities from amongst persons under clause (1) to (4).

2. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /पिछडा वर्ग /अति पिछडा वर्ग)का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
3. दिव्यांगजन आवेदक आवेदन फॉर्म में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
4. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

रिक्त पदों की संख्या, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेयः–

क्र.सं.	पद नाम	योग्यता	मानदेय (रूपये में)	रिक्त पद
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा	20,000/–	27
2	लेखा सहायक	बी.कॉम/सी.ए इन्टरमीडियेट(आई.पी.सी.)/ICWA इन्टर/कम्पनी सेक्रेटरी(इन्टर)	12,000/–	14

3	एम.आई.एस मेनेजर	बी.सी.ए	12,000/–	14
4	शहरी रोजगार सहायक	स्नातक + आर.एस.सी.आई.टी कोर्स उत्तीर्ण	7,500/–	29
			कुल पद	**84**

अन्य योग्यताऐं :–

1. **स्वास्थ्य** :–उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिले के प्रमुख चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी या प्रमुखा चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. **चरित्र** :–सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

चयन प्रकिया :–

1. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं हैं।
2. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी।
3. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत डिग्रीधारीयों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरें जायेंगें।
4. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। R.S.C.I.T हेतु मैरिट में कोई प्रावधान नही रखा जायेगा।

नोट :–

1. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
2. एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में संविदा अनुबंध किया जायेगा, अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. संविदा भर्ती वरीयता के आधार पर की जायेंगी तथा पदवार सभी पदों के लिए कुल पदों का कमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची जारी की जायेंगी।
4. संविदा भर्ती किये जाने के उपरान्त नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जायेंगा।

आयुः–

आवेदक 01 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
परन्तु उपरोक्त लिखित ऊपरी आयु सीमा–

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो, अति पिछडे वर्गो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 05 वर्ष य
2. सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 05 वर्ष य
3. अनुनूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो, अति पिछडे वर्गो, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो, के महिला भ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष य

4. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम 2021 के नियम 6 (A) मे किये गये प्रावधान के अनुसार सम्बंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजानों को 05 वर्ष की आयुसीमा में छूट दी जायेगी। विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा मे छूट के अतिरिक्त होगी।

नियुक्ति की अयोग्यताऐं :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
2. किसी भी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
3. कोई भी विवाहित आवेदन सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, परन्तु 02 से अधिक बच्चों वाले आवेदक को नियुक्ति के लिये तब तक निरहरित नहीं समझा जायेगा जब तक की 01 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहॉ किसी आवेदक के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहॉ वच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

आवेदन कैसे करेः–

आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः– राजस्थान में पिछडा वर्ग/अतिपिछडा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के आवेदन सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो आवेदक का आवेदन पत्र चयन समिति द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

प्रमाण–पत्रों का सत्यापनः–

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/अति पिछडा वर्ग/और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण–पत्र इस भर्ती के लिये आवेदन की अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण पत्र के जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

1. **जाति प्रमाण–पत्र की वैधता अवधिः–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 09.09.2015 के अनुसारः–**
   a. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिये जारी जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि OBC के लिये सम्बंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु क्रीमिलेयर में नहीं होने सम्बंधी तथ्य को 03 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

b. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अतिपिछडा में वर्णित जातियों को अतिपिछडा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अतिपिछडा वर्ग का लाभ होगा।

c. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडे वर्ग/अति पिछडा वर्ग/और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति/आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

d. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के सम्बंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र 06.05.2022 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त यदि प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

2. अभ्यर्थी को पात्रता की जॉच एवं दस्तावेजो के सत्यापन के समय शैक्षिक योग्यता, आयु, वैवाहित स्थिति, विधवा, विशेष योग्यजन, मूलनिवास, चरित्र, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। अभ्यर्थी को पात्रता की जॉच के समय मूल दस्तावेज ही पेश करने होगें।

कार्यालय की वैबसाईट :-

अभ्यर्थी जिला परियोजना समन्वयक की वैबसाइट WWW.bharatpur.jaipur.gov.in or **www.bharatpurmc.co.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

(आलोक रंजन)IAS
जिला कलक्टर एवं जिला
परियोजना समन्वयक
भरतपुर

क्रमांक :- 3997-4007 दिनांक :- 12/07/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक एवं सयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्यवयक(**IRGY-U**), भरतपुर।
5. श्रीमान महापौर महोदय, नगर निगम, भरतपुर।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
7. अतिरिक्त जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी(सामान्य शाखा) कलक्ट्रेट, भरतपुर।
8. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भरतपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, भरतपुर।
10. लेखाधिकारी, नगर निगम, भरतपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(कमलराम मीना) RAS
आयुक्त
नगर निगम, भरतपुर